

डिग्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-47/2018

1. अरविन्द पुत्र सुभाष नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता सुभाष पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल } पि० रुपाराम जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला
3. धर्मपाल } हनुमानगढ।
4. लिखमाराम }

-वादीगण

बनाम

1. मीरांदेवी पत्नी बीरबलराम पुत्री रुपाराम कुम्हार निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. गुडडी देवी पत्नी मंगतूराम पुत्री रुपाराम जाति कुम्हार निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. गोमीदेवी पत्नी चन्दगीराम पुत्री रुपाराम कुम्हार निवासी आजादनगर हिसार हरि०।
4. दुल्लाराम पुत्र रुपाराम जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा हाल दुदा कॉलोनी सैक्टर नं० 20, सिरसा तहसील व जिला सिरसा।
5. श्रीराम पुत्र रुपाराम जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मोहनलाल पुत्र रुपाराम जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. आस्था नाबालिग पुत्री मोहनलाल जरिये कुदरती वली दादा मोहनलाल पुत्र रुपाराम जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सिलोचना पत्नी मॉंगीलाल पुत्री मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नरेन्द्र पाल वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं० 2 ए बारानी के खाता सं० 4/101 जमाबन्दी संवत् 2071 ता 74 में प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के नाम संयुक्त खाता की कुल 3.374 है० कृषि भूमि अपने हिस्सा 3/8 हिस्सा अर्थात् 1.265 है० कृषि भूमि के वादीगण सं० 1 ता 4 व प्रतिवादी सं० 4 व 5 के नाम ब०हि०व० व इसी चक के खाता सं० 143/136 में प्रतिवादी सं० 1,2,3,का संयुक्त खाता में 3.692 है० में से 3/9 हिस्सा अर्थात् 1.230 है० हिस्सा की कृषि भूमि के वादीगण सं० 1 ता 4 व प्रतिवादी सं० 4 व 5 के नाम ब०हि०व० दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 2 ए बारानी के खाता सं० 4/101 व इसी चक के खाता सं० 143/136 में से प्रतिवादी सं० 1 मीरांदेवी, प्रतिवादी सं० 2 गुडडी देवी व प्रतिवादी सं० 3 गोमीदेवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निज.....निल.....मुक्लिक.....निल.....वावत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक 1.2.11.18.....अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....1.2.11.18.....को जारी किया गया।



वर्तमान कोटेशन

उप खण्ड अधिकारी
(टिब्बी)

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी